Form No-III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् प्रमीला देवी बनाम जगमाल सिंह आदि किस्म मुकदमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आरटीएक्ट वाद संख्या 90/2019

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
9.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादी को अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 की तलबी रजिस्टर्ड से करवाने हेतु बार-बार न्यायालय द्वारा हिदायत दी गई। वकील वादी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 की तलबी रजिस्टर्ड से करवाने की हिदायत देने के बावजूद आदिनांक तक तलबी नही करवाई गई है। रजिस्टर्ड तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन पेश नही किये गये है। वादी न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.02.2021 से प्रतिवादीगण के सम्मन/नोटिस देने में विफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 09 नियम 02 के तहत् सम्मन/नोटिस देने में वादी/प्रार्थी के असफल रहने के परिणामस्वरूप इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आदिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। शकुंतला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.10.23 11:11:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner